न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 कन्नौज।

उपस्थितः– इन्द्र जीत सिंह–II उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा(UP1676)

C.N.R. No. UPKJ010034882018

विशेष सत्र परीक्षण सं० 45/2018

मुकदमा अपराध संख्या 443/2017

सरकार **बनाम** सुशील कुमार गोयल

अन्तर्गत धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट

थाना ठठिया, जिला कन्नौज।

दिनांकः– 07–04–2023

पत्रावली पेश हुयी, पुकार करायी गयी, उपस्थित कोई नही। अभियुक्त रामकुमार की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत, केवल आज के लिये स्वीकृत।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त अविनाश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 34744 सन 2018 अन्तर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० में पारित सम्मानित आदेश दिनांकित 08–10–2018 के द्वारा स्थगित चली आ रही है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त स्थगन आदेश के जारी रहते हुये छः माह से भी काफी ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए०आर० आफ रोड एजेन्सी प्रा०लि० व अन्य बनाम सी०बी०आई० 2018 (104) A.C.C. 238 S.C. के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां कोई मामला विचाराधीन है और उसे स्थगित किया गया है तो छः माह के व्यतीत होते ही उक्त स्थगन स्वतः समाप्त हो जायेगा, जब तक कि उसे स्पष्ट आदेश द्वारा विशेष परिस्थितियो का उल्लेख करते हुये आगे स्थगित नही किया गया हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश को माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 11945/2020/एडमीन जी–II: इलाहाबाद दिनांकित 17–12–2020 के द्वारा प्रचालित कराया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सम्मानित आदेश दिनांकित 08–10–2018 के अनुपालन में स्थगित चल रही है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त स्थगन आदेश के जारी रहते छः माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और उक्त स्थगन आदेश को आगे बढ़ाये जाने का कोई आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। अतः ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित स्थगन आदेश के प्रभाव को समाप्त मानते हुये प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही आगे संचालित करते हुये अभियुक्त को जरिये समन तलब किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में पारित स्थगन आदेश दिनांकित 08–10–2018 के प्रभाव को समाप्त मानकर प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही अग्रसंचालित किया जाता है। अभियुक्त अविनाश को समन जारी हो। पत्रावली **दिनांक 12–05–2023** को वास्ते हाजिरी अभियुक्त पेश हो।

(इन्द्र जीत सिंह-II)
J.O. Code UP 1676
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 4 कन्नौज।

दिनांक 07–04–2023

Digitally signed by INDRA JEET SINGH
Date: 2023.04.07 15:38:57 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court